THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) After taking into account the recommendations made by the Commission for Agricultural Costs and Prices, views of State Governments and concerned Central Ministries and other relevant factors, the Government has fixed the minimum support price of wheat at Rs. 360 per quintal for the marketing season 1995-96 which marked an increase of Rs. 10 per quintal over the minimum support price fixed for the last season. At present, there is no proposal under consideration to further increase the minimum support price of wheat for the marketing year 1995-96.

Kharland Development

4022. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) which are the States which have undertaken the programme of Kharland development and the total land brought under cultivation State-wise;

(b) whether Government have given any special grant for development of Kharland to the States, if so, what is the total amount disbursed to the State of Maharashtra; and

(c) whether Government aids the States for maintenance of the bunding etc. which are constructed for preventing sea water?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आर्थिक रूप से कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंक

4023. श्री कैलाश नारायण सारंग: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आर्थिक रूप से कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कालातीत ऋणों की पूर्ति करने हेतु उन्हें दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजा गया है और केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहयोग प्रदान किया गया है ; और

(ख) ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कालातीत ऋणों की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में कृषि मंत्रालय द्वारा कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, मंत्रालय द्वारा गैर अतिदेय कवर हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देने संबंधी केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना चलाई जा रही है। यह सहायता प्रत्येक केन्द्रीय सहकारी बैंक को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा यथामूल्यांकित गैर अतिदेय कवर में हुए घाटे के आधार पर दी जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान गैर अतिदेय कवर सहायता के संबंध में कृषि मंत्रालय को 82 केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्राप्त राज्यवार प्रस्तावों तथा स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गैर अतिरेक सहायता संबंधी प्रस्ताव तथा संस्वीकृत धनराशि का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या जिनसे सहायता संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या, जिन्हे केन्द्रीय सहायता दी गई	निर्मुक्त धनराशि (लाख रुपए में)
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	4	3	50
2.	बिहार . . .	18	--	--
3.	गुजरात . .	5	2	28
4.	हरियाणा . .	4	3	60
5.	कर्नाटक . .	1	1	21
6.	केरल . . .	1	1	20
7.	मध्य प्रदेश . .	11	9	60
8.	महाराष्ट्र . .	11	--	--
8.	उड़ीसा . . .	15	14	100
10.	राजस्थान . .	2	2	60
11.	उत्तर प्रदेश . .	7	7	400
12.	पश्चिम बंगाल . .	3	1	1
		82	43*	800

नोट : :-- *कुछ बैंकों को सहायता स्वीकृत नहीं की गई क्योंकि वे लाभाई पुनर्वित्त हेतु पात्र नहीं थे अथवा उन्होंने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कतिपय प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया था। कुछ मामलों में सहायता स्वीकृत नहीं की जा सकी, क्योंकि संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान के संबंध में बजट प्रावधान नहीं किया गया था।